IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
ISSN (Print) 2581-XXXX
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 11, Issue 1, November 2020
Impact Factor: 4.819

''मानव अधिकार''

Dr. Vishnu Kumar[1] and Chander Prakash Mali[2]
Research Director, Bhagwant University, Ajmer, Rajashtan[1]
Assistant Professor, Political Science, Kuchaman College, Kuchaman City, Nagaur, Rajashtan[2]

सारांशः अधिकार मानव का जन्म सिद्ध अधिकार है। रूसों का प्रसिद्ध कथन कि ''मनुश्य स्वतंत्र पैदा होता है, पर हर जगह वह समाज तथा देश की जंजीरों एवम् परम्पराओं से जकड़ा रहता है।'' वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण देश के संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते है तथा जिन अधिकारों में राजनीतिक व्यवस्था (राज्य) द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, मानव अधिकार कहलाते है। मानव अधिकार व्यक्ति के सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियॉ जिनके अभाव में कोई भी व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता है। मानव अधिकार प्रजातंत्र के आधार स्तम्भ है मानव अधिकार एक देश के राजनीतिक जीवन में एक दल विशेश के बहुमत की तानाशाही को रोकते है। मानव अधिकार व्यक्ति स्वतंत्रता और सामाजिक नियन्त्रण के बीच सन्तुलन और सामंजस्य की स्थापना करते है। मानव अधिकार नागरिकों को न्याय, जीवन, स्वतंत्रता और सम्पत्ति के अधिकार की रक्षा तथा उचित व्यवहार की सुरक्षा प्रदान करते है और राज्य(सरकार) के हस्तक्षेप तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता के सन्तुलन को स्थापित करते है। अतः मानव अधिकारों का समग्र विश्लेशण वर्तमान समय में उनकी अति दुखद स्थिति तथा, राष्ट्रीय एवम् अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी सुरक्षा अति जरूरी है।

संकेतक भाब्दः अधिकार, राजनीतिक व्यवस्था, सर्वांगींण, संन्तुलन, सामंजस्य, अन्तर्राष्ट्रीय

प्रस्तावनाः

विश्व 21वी सदी में जी रहा है। आज संसार में भाासन, उद्योग, विकास आदि की बढती हुई प्रतिस्पर्धा ने मनुश्य को पीछे धकेल दिया है। विश्व स्तर पर आज अमेरिका, इंग्लैण्ड, फ्रांस, कनाडा सहित सभी विकसित एवम् विकासशील देशों में मानवाधिकारों की स्थिति अति चिन्ता जनक और भोचनीय है। प्रस्तुत भोध पत्र मानवाधिकारों की सम्पूर्ण जागरूकता के साथ उनका वर्गीकरण तथा उनके सरंक्षण और सुधार के लिए राष्ट्रीय एवम् अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रयास है।

(1) **मानव अधिकारों का वर्गीकरण**

लॉस्की ने कहा था कि–'मानवाधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियाँ हैं जिनके बगैर सामान्यतया कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नही कर सकता है।' एम0ए0 सईद का विचार है कि 'मानव अधिकारों का सम्बन्ध व्यक्ति की गरिमा से है एवं आत्म सम्मान का अभाव जो व्यक्तिगत पहचान को रेखांकित करता है तथा मानव समाज को आगे बढ़ाता है।'

इस वर्गीकरण को हम निम्नलिखित रूप मे स्पष्ट कर सकते हैं–

10 दिसम्बर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का परिपत्र जारी हुआ इस परिपत्र में मानवाधिकारों की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए उनका विकास विभिन्न अनुच्छेदों में दिया गया है। इस सार्वभौमिक घोषणा में प्रस्तावना सहित

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
ISSN (Print) 2581-XXXX
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 11, Issue 1, November 2020
Impact Factor: 4.819

30 अनुच्छेदों में मानव अधिकारों तथा मौलिक स्वतन्त्रताओं के विषय को विस्तृत उल्लेखनीय किया गया है जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित हैं–

अनुच्छेद 01: "सभी मनुश्य समान अधिकार और सम्मान लेकर जन्में है।"

अनु0–02 : नस्ल, लिंग, रंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य विचार राष्ट्रीय या सामाजिक मूल्य, सम्पत्ति, जन्म या अन्य स्थिति से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के विभेद के बिना प्रत्येक मनुष्य इस घोषणा में वर्णित अधिकारों और स्वतंत्रताओं का हकदार है। इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति जिस देश या प्रदेश का निवासी है उस देश या प्रदेश की राजनैतिक, क्षेत्राधिकारीय या अर्न्तराष्ट्रीय स्थिति चाहे कुछ भी हो, वह देश या प्रदेश चाहे स्वतंत्र हो या ट्रस्ट व्यवस्था के अधीन हो, अथवा स्वशासी हो या उसकी प्रभुसत्ता पर कोई मर्यादा लगी हो, उसके आधार पर उस व्यक्ति के साथ कोई विभेद नही किया जायेगा।

अनु0–03 : प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और अपने शरीर की सुरक्षा का अधिकार है।

अनु0–04 : किसी को भी दास बनाकर या दासता की स्थिति में नही रखा जायेगा। सभी प्रकार की दासता दास–व्यापार निषिद्ध होंगे।

अनु0–05 : किसी को भी यातना नही दी जायेगी और किसी के साथ निष्ठुरतापूर्ण, अमानवीय, या अपमान जनक व्यवहार नही किया जायेगा और न किसी को इस प्रकार को कोई दण्ड दिया जायेगा।

अनु0–06 : प्रत्येक मनुष्य को यह अधिकार है कि उसे हर जगह कानून की दृष्टि में एक व्यक्ति के रूप मान्य किया जाए।

अनु0–07 : कानून की दृष्टि में सभी समान है और बिना किसी विभेद के कानून की समान सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। सभी को इस घोषणा के विरूद्ध किये जाने वाले विभेद या ऐसा विभेद करने के लिये दिये गये किसी उकसावे के खिलाफ समान संरक्षण का अधिकार है।

अनु0–08 : प्रत्येक व्यक्ति को उसे संविधान या कानून द्वारा प्रदत मूल अधिकार का उल्लंघन करने वाली कार्यवाहियों का सदस्य संक्षेप में राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों द्वारा प्रभावकारी रीति से प्रतिकार कराने का अधिकार है।

अनु0–09 : किसी को भी मनमाने तौर पर गिरफ्तार या नजरबंद या निर्वासित नही किया जायेगा।

अनु0–10 : प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण समानता के आधार पर यह हक है कि उसके अधिकारों और दायित्वों का एवं यदि उसके खिलाफ किसी अपराध का कोई आरोप हो तो उसका निर्णय स्वतंत्रता और निश्पक्ष न्यायाधिकरण द्वारा न्यायोचित और सार्वजनिक सुनवाई के आधार पर किया जाए।

अनु0–11 :

- दण्डनीय अपराध के आरोपी प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माने जाने का अधिकार है जब तक कानून के अनुसार सार्वजनिक मुकदमें में जिसमें उसे अपने बचाव के लिये आवश्यक सारे उपाय सुलभ हो, वह दोषी नही साबित कर दिया जाता।
- किसी को भी कोई ऐसा कार्य करने या न करने के लिए दण्डनीय अपराध का दोशी नही माना जायेगा जिस कार्य को करना या न करना उस समय राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय कानून में दण्डनीय अपराध नही था जब वह कार्य किया गया या न किया गया। साथ ही जब कोई दण्डनीय अपराध किया गया इस समय उसके लिये जितनी दण्ड की व्यवस्था कानून में थी उसे अधिक दण्ड बाद मे किसी भी कारण से नही दिया जायेगा।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
ISSN (Print) 2581-XXXX
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 11, Issue 1, November 2020
Impact Factor: 4.819

अनु0–12 : किसी को भी निजत्व, परिवार, घर और पत्र व्यवहार में मनमाना हस्तक्षेप नही किया जायेगा और न ही उसके सम्मान और प्रतिष्ठा पर प्रहार किया जायेगा। ऐसे हस्तक्षेप या प्रहार के खिलाफ प्रत्येक व्यक्ति को कानून की सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार हैं

अनु0 – 13 :

- प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी राज्य की सीमा के अन्दर जाने–आने और बसने का अधिकार है।
- प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश–सहित किसी भी देश से अन्य देश में जाने और फिर अपने देश में लौट आने का अधिकार हैं

अनु0–14 :

- प्रत्येक व्यक्ति को अत्याचार से बचने के लिये दूसरे देशों में शरण पाने की कोशिश करने और ऐसी भारण का उपभोग करने का अधिकार है।
- गैर राजनीतिक अपराधो और संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रयोजनों और सिद्धान्तों के विपरीत कार्यो के लिये प्रमाणिक रूप से लगाये जाने वाले अभियोग के प्रसंग में इस अधिकार का सहारा नही लिया जा सकता।

अनु0–15 :

- प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीयता का अधिकार है।
- किसी भी व्यक्ति को अपनी राष्ट्रीयता से मनमाने तौर पर वंचित नही किया जायेगा और न उसे अपनी राष्ट्रीयता बदलने के अधिकार से महरूम किया जायेगा।

अनु0–16 :

- व्यस्क पुरूषों और स्त्रियों को मूलवंश, राष्ट्रीयता या धर्म की किसी मर्यादा के बिना विवाह करने और घर बसाने का अधिकार है। उन्हे विवाह के सम्बन्ध में विवाहित जीवन के दौरान और विवाह टूटने पर भी समान अधिकार होंगे।
- विवाह भावी दंपत्ति की स्वतन्त्र और पूर्ण सहमति से ही होगा।
- परिवार समाज की प्राकृतिक और मूलभूत समूहगत इकाई है और उसे समाज तथा राज्य से सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार हैं

अनु0–17 :

- प्रत्येक व्यक्ति को अकेले या दूसरे के साथ मिलकर सम्पत्ति का स्वामित्व रखने का अधिकार है।
- किसी को भी मनमाने ढंग से उसकी सम्पत्ति से वंचित नही किया जायेगा।

अनु0–18 : प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अन्तःकरण और धर्म की स्वतन्त्रता का अधिकार है। इस अधिकार में अपना धर्म या विश्वास बदलने की स्वतन्त्रता और अकेले या दूसरो के साथ मिलकर और सार्वजनिक या निजी तौर पर अपने धर्म या विश्वास को शिक्षा, व्यवहार, उपासना और अनुपालन के रूप में व्यक्त करने की स्वतन्त्रता भी शामिल है।

अनु0–19 : प्रत्येक व्यक्ति को कोई भी मत रखने और उसे अभिव्यक्त करने की स्वतन्त्रता का अधिकार है। इस अधिकार में किसी के द्वारा किसी प्रकार के हस्तक्षेप से मुक्त रहकर चाहे जो मत रखने और किसी भी माध्यम से तथा (राज्यों की) सीमाओं के किसी बंधन के बिना जानकारी और विचार प्राप्त करने की कोशिश करने दूसरो तक संप्रेषित करने की स्वतन्त्रता का समावेश है।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
ISSN (Print) 2581-XXXX
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 11, Issue 1, November 2020
Impact Factor: 4.819

अनु0–20 :

- प्रत्येक व्यक्ति को शांतिपूर्ण सम्मेलन और किसी भी संघ में शामिल होने का अधिकार है।
- किसी को भी किसी संघ मे भाामिल होने के लिये विवश नही किया जा सकता है।

अनु0–21:

- प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से या स्वतन्त्रतापूर्वक चुने गये अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने देश के भाासन में भाग लेने का अधिकार है।
- प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की सरकारी सेवाओं में प्रवेश करने का समान अधिकार है।
- जनता की इच्छा सरकार की सत्ता का आधार होगी। इस इच्छा की अभिव्यक्ति समय–समय पर आयोजित प्रामाणिक चुनावों के माध्यम से की जाएगी और ये चुनाव सार्वजनीन और समान मताधिकार के आधार पर होंगे एवं इनका तरीका गुप्त मतदान या स्वतंत्र रूप से मतदान करने की तुल्य पद्धतियां होगी।

2 – आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार– सामान्य भाब्दों में इन अधिकारों को कार्यक्रमिक अधिकार कहा जाता है मुख्य रूप से इन अधिकारों का जन्म क्रान्तिकारी संघर्ष, समाजवादी परम्पराएँ तथा लोकतन्त्रवादी आन्दोलन में खोजा जा सकता है। ये विस्तृत रूप पर पूँजीवादी विकास के दुर्व्यव्हार की प्रतिक्रियाए है तथा जिसका परिणाम, कामगार था औपनिवेशवादी व्यवस्था में शोषण हुआ ऐतिहासिक रूप से नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारों के प्रतिस्थानी है। इनकी संकल्पना सकारात्मक स्वरूप में ही है। आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों की सूची मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा की अर्न्तवस्तु शीर्षक के अर्न्तगत अनुच्छेद 22 से 27 में दी गई है जो निम्नलिखित है–

अनु0–22 समाज के सदस्य के नाते प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है और वह राष्ट्रीय प्रयत्नों तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से एवं प्रत्येक राज्य के संगठन और संसाधनो के अनुसार उन आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों के चरितार्थ किये जाने का हकदार है जो उसकी गरिमा और व्यक्तित्व के मुक्त विकास के लिए अनिवार्य है।

अनु0–23 :

- प्रत्येक व्यक्ति को काम करने अपनी इच्छा से अपना रोजगार चुनने, काम करने की उचित और अनुकूल परिस्थितियॉ पाने और बेरोजगारी के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार है।
- प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी विभेद के समान कार्य के लिये समान वेतन पाने का अधिकार है।
- जो कोई भी काम करता है उसे न्याय सम्मत और लाभदायक परिश्रमिक पाने का अधिकार है, ताकि वह अपने लिये और अपने परिवार के लिए, आव यक हो तो सामाजिक सुरक्षा के उपाय लेते हुए ऐसा जीवन–स्तर सुनिश्चित कर सके जो मानवीय गरिमा के अनुरूप है।
- अपने हितों की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति को श्रमिक संघ बनाने और संघ में शामिल होने का अधिकार है।

अनु0–24 : प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम और अवकाश का अधिकार है, जिसमें काम के घंटो पर उचित सीमा लगाना और सवेतन अवकाश भी शामिल है।

अनु0–25 :

- प्रत्येक व्यक्ति को एक ऐसे जीवन स्तर का अधिकार है जो स्वंय उसके और उसके परिवार के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए उपयुक्त हो, जिसमें भोजन, वस्त्र आवास और चिकित्सा संबन्धी देख–रेख की उचित सुविधा तथा आवश्यक

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
ISSN (Print) 2581-XXXX
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 11, Issue 1, November 2020
Impact Factor: 4.819

सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था का और बेरोजगारी, बिमारी, भाारीरिक अक्षमता, वैधव्य, बुढ़ापा या उसके बस से बाहर की अन्य ऐसी परिस्थितियों में जिनमें वह अपनी जीविका अर्जित करने में असमर्थ हो जाए, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था का समावेश है।

- मातृत्व और बचपन विशेष ध्यान दिये जाने और विशेष सहायता के पात्र है। सभी बच्चो को चाहे उनका जन्म वैवाहिक संबन्धों से हुआ हो या अन्यथा, समान सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होगी।

अनु0–26 :

- हर व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है। कम से कम प्राथमिक और बुनियादी अवस्थाओं में शिक्षा निःशुल्क होगी। प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होगी। तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा सामान्य रूप से उपलब्ध होगी और प्रतिभा के आधार पर सबको उच्च शिक्षा प्राप्त करने की समान सुविधा होगी।
- शिक्षा मानव व्यक्तित्व के पूर्ण विकास और मानवाधिकारों तथा मूल स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान की भावना को प्रबल बनाने की ओर अभिमुख होगी। वह सभी राष्ट्रों, नस्लों या धार्मिक समूहों के बीच आपसी सद्भाव, सहिष्णुता और मित्रता का अभिवर्धन करेगी और संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति की रक्षा के प्रयत्नों में सहायक होगी।
- माता–पिता को यह तय करने का प्रथम अधिकार होगा कि उनके बच्चे को किस प्रकार की शिक्षा दी जाये।

अनु0–27 :

- प्रत्येक व्यक्ति को समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में निर्बाध रूप से भाग लेने, कलाओं का आनंद उठाने तथा वैज्ञानिक प्रगति और उसके लाभों में हिस्सेदारी करने का अधिकार है।
- प्रत्येक व्यक्ति को उसके द्वारा निर्मित वैज्ञानिक उपादान या उसके द्वारा सृजित साहित्यिक या कलात्मक कृति से प्रतिफलित नैतिक तथा भौतिक हितों के लिए सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।

अनुच्छेद 28 से 30 में यह बताया गया है कि हर व्यक्ति को समाजिक और अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था पाने का अधिकार है, जिसमें इस वैश्विक घोशणा में भाामिल किए गए सभी मानवाधिकारों को पूर्णतः प्राप्त किया जा सके, कि इन अधिकारों का मात्र इतना ही क्षेत्र सीमित हो कि अन्य लोगों की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों को मान्यता दी जा सके, ताकि लोकतांत्रिक समाज में नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था और जनकल्याण की आव यकताओं की पूर्ति हो सके, और कि हर व्यक्ति के उस समुदाय के प्रति कुछ दायित्व हो, जिससे वह रहता /रहती है।

भारतीय संविधान एवं मानवाधिकार– भारत के संविधान के भाग–3 में नागरिक के मूल अधिकारों को वर्णित किया गया है भाग–3 मौलिक अधिकार (अनु0 12 से 32 तक)

- समता का अधिकार (अनुच्छेद– 14 से 18)
- स्वतन्त्रता का अधिकार (अनुच्छेद – 19 से 22 तक)
- शोषण के विरूद्ध अधिकार (अनुच्छेद– 23 से 24 तक)
- धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार (अनुच्छेद – 25 से 28 तक)
- शिक्षा और संस्कृति सम्बन्धी अधिकार (अनुच्छेद– 29 से 30 तक)
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद– 32)

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
ISSN (Print) 2581-XXXX
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 11, Issue 1, November 2020
Impact Factor: 4.819

(2) **मानव की अति दुखदः स्थिति तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षण के राश्ट्रीय और अन्तर्राश्ट्रीय प्रयास।**

मनुश्य के जीवनयापन और विकसित होने के मूलभूत (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एंव सांस्कृतिक) अधिकारों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 'मानवाधिकार' के रूप में स्वीकार किया गया है मानवाधिकारों की विस्तृत व्याख्या के लिए संयुक्त राश्ट्र संघ ने सर्वप्रथम 27 जनवरी,1947 को एक आयोग गठित किया था, जिसकी सिफारिशों के सर्वभौमिक घोशणा–पत्र को संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने 10 दिसम्बर, 1948 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया था, तभी से वि व भर में 10 दिसम्बर का दिन 'वि व मानवाधिकार दिवस' के रूप में मनाया जा रहा है, दरअसल 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ही इसी उद्दे य से की गई थी कि भविश्य में द्वितीय विश्वयुद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न न होने पाए और संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी स्थापना के कुछ ही समय बाद मानवाधिकारों को संरक्षण किए जाने की ओर ध्यान देना भुरू किया।

सार्वभौमिक घोशणा–पत्र के प्रथम दो अनुच्छेदों के अनुसार ''सभी मानव प्रतिश्ठा एंव अधिकारों में समान जन्मे है ओर बिना किसी भेदभाव जैसे नस्ल, रंग, लिंग, भाशा, धर्म, राजनीतिक या अन्य विचार, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, सम्पत्ति, जन्म या अन्य स्थिति के घोशणा में दिए गए सभी अधिकारों एंव स्वतन्त्रताओं को लेने के अधिकारी है।

विडम्बना ही है कि मानवाधिकारों की घोशणा के पूरे 71 वर्श बाद भी दुनिया भर में करोड़ो लोग संयुक्त राश्ट्र संघ द्वारा घोशित मानवाधिकारों से वंचित है करोड़ो लोग रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरूरतों से वंचित है एक अरब से भी अधिक लोग कम अथवा ज्यादा कुपोशण के शिकार है, कुपोशण की वजह से हर रोज हजारों बच्चे काल के ग्रास बन रहे है, दुनिया भर में करोड़ो बच्चे बाल मजदूरी का दंश झेल रहे है, भारत में 8 करोड़ से भी अधिक बच्चे अपने मासूम बचपन को बाल मजदूरी की तपती भट्टी में झौंकने को विवश है और स्कूली शिक्षा से भी वंचित है, औद्योगिकरण की अंधी दौड़ में देश में मजदूर महिलाओं व छोटे–छोटे मासूम बच्चों का भाारीरिक व मानसिक भोशण किसी से छिपा नहीं है, वि व भर में अरबों लोग आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से वंचित है एक अरब से अधिक लोगों को पीने के लिए स्वच्छ एंव भुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है। यदि हम मानवाधिकारों की दृश्टि से इसका विवेचन करें, तो क्या ये सभी उचित स्तर पर जीवन यापन के अधिकार, शिक्षा के अधिकार, जीवन के प्रति सुरक्षा के अधिकार, भोशण से मुक्ति के अधिकार तथा अन्य सामाजिक अधिकारों से पूर्णतया वंचित नहीं है ? क्या यह सरासर मानवाधिकारों के उल्लंघन का मामला नहीं है? क्या यह मानवाधिकार आयोग का दायित्व नहीं है कि वह इन विसंगितियों को दूर करने के लिए सार्थक एंव प्रभाव कदम उठाए? आधुनिक भारत में करोड़ों लोग आज भी भूखे–नंगे अपनी उद्दे यहीन जिन्दगी के दिन जैसे–तैसे पूर कर रहे है, क्या ऐसे लोगों के लिए मानवाधिकारों का कोई महत्व हो सकता है ?

मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकारों परिशद, मानवाधिकार केन्द्र, मानवाधिकार उच्चायुक्त महिलाओं के लिए आयोग के अलावा लगभग प्रत्येक राष्ट्र में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सक्रिय है, लेकिन आज भी जिस गति से मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, उससे मानवाधिकार आयोगों के अस्तित्व पर प्रश्नचिन्ह लगता है, दुनिया भर में दो प्रमुख मानवाधिकार संगठनों 'एमनेस्ट इंटरने ानल' व ह्यमून राइट वाच' का खासतौर से उल्लेख किया जा सकता है, जो दुनिया भर की स्थिति पर नजर रखते है ओर हर वर्श इस पर अपनी रिपोर्ट पेश करते है, मानवाधिकार हनन के मामले में हर दशे की कमानुसार स्थिति दर्शायी जाती है और इस रिपोर्ट के आधार पर जिस देश में मानवाधिकार की स्थिति दयनीय हाती है, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न केवल आलोचना का शिकार होना पड़ता है, बल्कि अमरीका जैसे विकसित देश उस पर आर्थिक प्रतिबंध भी लाद देते है पर वास्तविकता यह है कि पिछले कुछ समय से इन संगठनों की रिपोर्टो को भी पूरी तरह निश्पक्ष नहीं माना जाता इन रिपोर्टो के पीछे अमरीका इत्यादि विकसित देशों के अपने निजी हित या स्वार्थ भी छिपे होते है।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
ISSN (Print) 2581-XXXX
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 11, Issue 1, November 2020
Impact Factor: 4.819

भारत में मानवाधिकार संगठनों की सक्रियता खासतौर से पंजाब के आतंकवाद के भयावह दौर से देखी जा रही है, जब इन संगठनों को पुलिस व सेना के जवानों का हर छोटा–बडा कारनामा तो नजर आता था, लेकिन आतंकवादियों की करतूतों के विरूद्ध इनकी जुबान पर लगाम ही कसी रही, इस बारे में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस ए.एस आनंद ने एक बार कठोर टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये संगठन सुरक्षा बलों के अत्याचारों पर तो उगली उठाते है, पर आतंकवादी संगठन कश्मीर में जो कुछ कर रहे है उस पर चुप रहते है यह हकीकत भी है कि अगर कोई आतंकवादी या भारारती तत्व पुलिस अथवा सेना के हाथों गलत तरीके से मारे जाएं, तो मानवाधिकारवादी संगठन खूब हो हल्ला मचाते है, लेकिन वहीं अगर ये ही सिरफिरे लोग निर्दोश लोगों के लहू से होली खेले, अबलाओं की इज्जत के सरेआम चिथेडे उड़ाएं, उन्हें गैंगरेप जैसी पाश्विक घटनाओं को अंजाम देकर जिंदा जला डालें तो ऐसी हैवानियत मानवाधिकार के ठेकेदारों को नजर नहीं आती, बल्कि ऐसे मामलों में इन संगठनों की भूमिका पर सवाल उठाने वालों के समक्ष तर्क प्रस्तुत किया जाता है, वैसे भी आतंकवादी या अराजक तत्व पकड़ा भी जाए, तब उसके खिलाफ कानून के मुताबिक ही एक्शन होना चाहिए।

ऐसा नहीं कि मानवाधिकार संगठनों की भूमिका हर मामले में सदेहास्पद रही हो, बल्कि कुछ मामलों में इन संगठनों ने सही मायनों में पीड़ित मानवता के हित में सार्थक पहल की है पर यह भी सच है कि दुनिया भर में आज भी करोड़ो–अरबों लोग मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोशणा के 71 वर्शो बाद भी अपने अधिकारों से वंचित है मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए 1961 में स्थापित अन्तराष्ट्रीय संगठन 'एमनेस्टी इंटरनेशनल' की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि दुनिया भर में करीब 120 देशों में मानवाधिकारों का बड़े पैमाने पर हनन हो रहा है।

भारत में सितम्बर 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य मानवाधिकारों का संरक्षण व उनकों प्रोत्साहन देना ही था, जिसके लिए आयोग के कार्य हैं 1. मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जॉच करना, 2. कैदियों की मानवीय स्थिति का अध्ययन करना, 3. मानवाधिकारों के क्षेत्र में अध्ययन व भाोध को प्रोत्साहित करना, 4. मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु कार्यरत् स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित करना आयोग उच्चतम न्यायालय के निदेशों पर बंधुआ मजदूरी की समाप्ति मानसिक अरोग्य शालाओं का निरीक्षण, नारी सुरक्षा गृह के संचालन की देख–रेख तथा खाद्य सुरक्षा के लिए भी कार्य कर रहा है, बच्चों व महिलाओं के प्रति यौन हिंसा व यौन भाोशण के विरूद्ध भी आयोग सक्रिय रूप से कार्य कर रहे है।

निश्कर्श–

मानवाधिकारों के सरंक्षण के लिए मानवाधिकार आयोग, स्वयं सेवी संस्थाओं एंव गैर सरकारी संस्थाओं आदि का उत्तरदायित्व है कि वे मानवाधिकारों के प्रति शिक्षा एंव प्रचार माध्यमों से जन–मानस में जागरूकता एंव चेतना उत्पन्न करें, सरकार का भी यह उत्तरदायित्व है कि वह मानवाधिकारों से सम्बन्धित प्रचलित कानूनों की समीक्षा करें तथा इन्हें कार्यान्वित कराने का प्रयास करें, पुलिस सैनिक बलों, जेल के प्रशासनिक अधिकारियों एंव सामान्य प्रशासनिक कर्मियों को मानवाधिकारों के प्रति प्रशिक्षित कर इनके प्रति संवेदनशील बनाए, न्यायिक प्रक्रिया को सरल, सस्ती और सुलभ बनाए जाने की आवश्कता है। मानवाधिकारों के लिए विशेश अदालतो का गठन किया जाए, जिससे न्याय मिलने में देरी न हो, सर्वाधिक महत्वपूर्ण तो यह है कि एक ऐसे समाज का निर्माण करने का प्रयास करें जहॉ व्यक्ति किसी कार्य के लिए दूसरे व्यक्ति के समक्ष मजबूर न हों। यह विडम्बना ही है कि देश की सुरक्षा के नाम पर सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने व हथियारों व उपकरणों की खरीद–फरोख्त के लिए तो हमारी सरकारें विभिन्न माध्यमों से चंद दिनों में ही अरबों रूपये जुटा सकती है, लेकिन जब बात आती है राष्ट्र को निर्धनता,

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
ISSN (Print) 2581-XXXX
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 11, Issue 1, November 2020
Impact Factor: 4.819

कुपोशण और भुखमरी के घोर अभिशाप से मुक्ति दिलाने की, तो सारे सरकारी खजाने खाली हो जाते है और अगर इस दिशा में कभी कुछ करने का प्रयास किया भी जाता है तो ऐसी योजनाओं को अमलीजामा पहनाने से पहले ही उनका बहुत बड़ा हिस्सा हमारे कर्णधार और नौकरशाह डकार जाते है। ऐसे में केवल मानवाधिकारों के संरक्षण एंव प्रोत्साहन का ढोल पीटने रहने से ही क्या हासिल हो रहा है, सरकार की ही मानवाधिकारों के सरंक्षण के लिए प्रबल इच्छा–शक्ति की आवश्कता है।

संन्दर्भ ग्रन्थ :

1. डॉ. डी.डी बसु (2012) 'भारत का संविधान – एक परिचय' एक्सिस नेक्सस, गुडगॉव हरियाणा।
2. कमला कान्त प्रसाद (2003)'21वी सदी में दलितों की सत्ता में भागीदारी' अम्बेडकर इन इण्डिया।
3. बसु, डी.डी– भारतीय संविधान – पेज न. 44
4. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम – 1993 – भारत सरकार
5. सेन, भांकर – ह्यूमन राइट्स : एश्पर्सपेक्टिव – पेज न 61
6. नाथ, डॉ केदार–मानवाधिकारों के सन्दर्भ में समाचार पत्रों की भूमिका – भोध ग्रन्थ पेज न. 191
7. डॉ. बी.एल. फड़िया (2018)अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध – पेज न0 311
8. डॉ. जैन, फडिया (2018) , भारतीय राजव्यवस्था – पेज न. 98
9. प्रतियोगिता दर्पण/अप्रैल/2020/82
10. डा0 एस0के0 कपूर (2013) 'भारत में मानवाधिकार', सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद।
11. गोविन्द सदाशिवे धुरिये (1961) 'जाति वर्ण और व्यवसाय', पॉपुलर प्रकाशन, मुम्बई।
12. डा0 ओमप्रकाश (2010) 'भारतीय दलितों में सामाजिक गतिशीलता एवं राजनैतिक चेतना', कला प्रकाशन, वाराणसी।
13. डा0 विप्लव (2012), 'भारत में मानवाधिकार', राहुल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
14. द हिन्दू, राजस्थान पत्रिका 10दिसम्बर, 2019 का मानवाधिकार दिवस पर विशेश लेख।